

नीलामी-सूचना

जनपद-अयोध्या में विकास खण्ड-पूरा बाजार/ मया बाजार एवं सदर अयोध्या में फैजाबाद शाखा की बैंक पर एकत्र सिल्ट के निस्तारण/उठान हेतु नीलामी सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई खण्ड, अयोध्या के नियंत्रणाधीन उपखण्ड प्रथम के फैजाबाद शाखा एवं माइनर पर जमा सिल्ट का निस्तारण करने के लिए नीलामी के माध्यम से उपखनिज का उठान निम्न विवरण के अनुसार होना है।

विवरण

क्रमांक	उपखनिज का नाम	क्षेत्र का विवरण	एकत्र उपखनिज सिल्ट बालू की मात्रा (घनमी० में)	नियमावली 1903 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रु०प्रतिघनमी०)	उपखनिज भण्डार की कुल रायल्टी धनराशि (रु०में) (कालम 4 में अंकित घनमीटर कालम 5 में अंकित रायल्टी की दर से गुण करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 6 में अंकित सकल धनराशि का 75 प्रतिशत) रु०में
1	2	3	4	5	6	7
1	सिल्ट/बालू	पौसरा राजवाहा किमी० 0.000 से 1.200 के दाहिने बैंक पर	9800.00m ³	55.00	539000.00	404250.00
2		पौसरा राजवाहा किमी० 1.200 से 2.000 के मध्य दोनों बैंक पर	9990.00m ³	55.00	549450.00	412087.00
3		पौसरा राजवाहा किमी० 2.000 से 3.000 के मध्य दाहिने बैंक पर	9890.00m ³	55.00	543950.00	407962.00
4		पौसरा राजवाहा किमी० 3.000 से 4.000 के मध्य दाहिने बैंक पर	9900.00m ³	55.00	544500.00	408375.00
5		पौसरा राजवाहा किमी० 4.000 से 5.000 के मध्य दाहिने बैंक पर	9000.00m ³	55.00	495000.00	371250.00
6		पौसरा राजवाहा किमी० 5.000 से 6.000 के मध्य दाहिने बैंक पर	8000.00m ³	55.00	440000.00	330000.00
7		पौसरा राजवाहा किमी० 6.000 से 7.000 के मध्य दाहिने बैंक पर	5000.00m ³	55.00	275000.00	206250.00
8		पौसरा राजवाहा किमी० 7.000 से 8.000 के मध्य दाहिने बैंक पर	6500.00m ³	55.00	357500.00	268125.00
9		पौसरा राजवाहा किमी० 8.000 से 10.000 के मध्य दाहिने बैंक पर	5000.00m ³	55.00	275000.00	206250.00
10		पौसरा राजवाहा किमी० 10.000 से 13.500 के मध्य दाहिने बैंक पर	9920.00m ³	55.00	545600.00	409200.00
11		भदौली राजवाहा किमी० 0.000 से 8.000 के मध्य दोनों बैंक पर	3850.00m ³	55.00	211750.00	158813.00
12		फैजाबाद शाखा किमी० 70.350 से 71.100 के मध्य बायीं बैंक पर	5100.00m ³	55.00	280500.00	210375.00
13		दतौली माइनर किमी० 0.000 से 0.300 के मध्य दोनों बैंक पर	250.00m ³	55.00	13750.00	10313.00
कुल योग-					5351500.00	4313625.00

- नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कालम 07 में अंकित निम्नतम अर्नेस्ट मनी को दिनांक:17.03.2020 तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड अयोध्या में जमा कर जमा रशीद प्राप्त करनी होगी। अर्नेस्ट मनी नियत दिनांक तक जमा करने वाले निविदादाता नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
- नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निविदादाता को सिल्ट की मात्रा की रायल्टी की कुल धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड अयोध्या के कार्यालय में डी०डी०या नगद के रूप में जमाकर जमा रशीद प्राप्त करनी होगी। जमा रशीद अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अर्नेस्ट मनी के साथ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर कार्ड की मूल प्रति दिखाते हुये इसकी छायाप्रति भी साथ में जमा करनी होगी।
- जो निविदादाता नियत दिनांक तक रायल्टी की कुल धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या के कार्यालय में जमा कर देगा, वही निविदादाता नीलामी की

- प्रक्रिया में भाग ले सकेंगा, एवं नीलामी हेतु स्थान तिथि एवं समय की सूचना नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अलग से दी जायेगी।
- 4-उच्च बोली बोलने वाले निविदादाता को सिल्ट उठाने के लिए अधिकृत किया जायेगा। एवं अधिकृत निविदादाता को रायल्टी की शेष धनराशि एक सप्ताह में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या के कार्यालय में जमा करना होगा। सिल्ट को उठाने हेतु अधिकृत पत्र प्राप्त होने के दिनांक से एक माह तक सिल्ट को बैंक से निविदादाता को उठा लेना चाहिए।
- 5-01 माह के अन्दर सिल्ट नहीं उठाने पर पुनः सिल्ट उठाने हेतु दिये गये किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। और न ही जमा हुई रायल्टी की धनराशि वापस की जायेगी।
- 6-अर्नेस्ट मनी डी0डी0 या नगदी के रूप में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या में जमा करायी जायेगी। डी0डी0 (डिमांड ड्राफ्ट) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या के पक्ष में देय होना चाहिए।
- 7-सिल्ट नीलामी की प्रक्रिया की जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस पर सहायक अभियन्ता-प्रथम के कार्यालय एवं जिलेदार प्रथम के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 8-सिल्ट को उठाने में नहर के आन्तरिक सेक्शन एवं बैंक में किसी भी तरह की क्षतिग्रस्तता नहीं होनी चाहिए।

(मोलहू)

सहायक अभियन्ता-प्रथम
सिंचाई खण्ड, अयोध्या

नीलामी-सूचना

जनपद-अयोध्या में तहसील सदर/मसौधा/बीकापुर में पडने वाले राजवहो एवं माइनरो की बैंक पर एकत्र सिल्ट के निस्तारण/उठान हेतु नीलामी सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई खण्ड, अयोध्या के नियंत्रणाधीन उपखण्ड द्वितीय के तहसील सदर/मसौधा/बीकापुर में पडने वाली माइनरो पर जमा सिल्ट का निस्तारण करने के लिए नीलामी के माध्यम से उपखनिज का उठान निम्न विवरण के अनुसार होना है।

विवरण

क्रमांक	उपखनिज का नाम	क्षेत्र का विवरण	सिल्ट की मात्रा (घनमी० में)	नियमावली 1903 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रु०प्रतिघनमी०)	उपखनिज भण्डार की कुल रायल्टी धनराशि (रु०में) (कालम 4 में अंकित धनमीटर कालम 5 में अंकित रायल्टी की दर से गुण करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 6 में अंकित सकल धनराशि का 75 प्रतिशत) रु०में
1	2	3	4	5	6	7
1	सिल्ट/बालू	अवनपुर राजवाहा किमी० 0.000 से 2.000 के मध्य बैंक पर	2980.00 m ³	55.00	163900	122925
2		डेरामूसी माइनर किमी० 0.000 से 0.500 के मध्य बैंक पर	450.00 m ³	55.00	24750	18563
3		कोटडीह माइनर किमी० 0.000 से 0.250 के मध्य दोनों बैंक पर	495.00 m ³	55.00	27225	20419
4		बैदरापुर माइनर किमी० 0.000 से 0.450 के मध्य बैंक पर	510.00 m ³	55.00	28050	21038
5		मीरपुर कांटा किमी० 0.000 से 0.500 के मध्य बैंक पर	280.00 m ³	55.00	15400	11550
6		हूसेपुर माइनर किमी० 0.000 से 0.350 के मध्य बैंक पर	450.00 m ³	55.00	24750	18563
7		चांदपुर राजवहा किमी० 0.000 से 7.500 के मध्य बैंक पर	3860.00 m ³	55.00	212300	159225
8		सरियावां माइनर किमी० 0.000 से 1.500 के मध्य बैंक पर	1840.00 m ³	55.00	101200	75900
9		ताजपुर माइनर किमी० 0.000 से 0.800 के मध्य बैंक पर	1250.00 m ³	55.00	68750	51563
10		पलिया माइनर किमी० 0.000 से 0.300 के मध्य बैंक पर	400.00 m ³	55.00	22000	16500
11		पोरा माइनर किमी० 0.000 से 0.500 के मध्य बैंक पर	520.00 m ³	55.00	28600	21450
कुल योग-					716925	537696

- 1- नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कालम 07 में अंकित न्यूनतम अर्नेस्ट मनी को दिनांक: 18.03.2020 तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड अयोध्या में जमा कर जमा रशीद प्राप्त करनी होगी। अर्नेस्ट मनी नियत दिनांक तक जमा करने वाले निविदादाता नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
- 2- नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निविदादाता को सिल्ट की मात्रा की रायल्टी की कुल धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड अयोध्या के कार्यालय में डी०डी०या नगद के रूप में जमाकर जमा रशीद प्राप्त करनी होगी। जमा रशीद अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अर्नेस्ट मनी के साथ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर कार्ड की मूल प्रति दिखाते हुये इसकी छायाप्रति भी साथ में जमा करनी होगी।
- 3- जो निविदादाता नियत दिनांक तक रायल्टी की कुल धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या के कार्यालय में जमा कर देगा, वही निविदादाता नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगा, एवं नीलामी हेतु स्थान तिथि एवं समय की सूचना नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अलग से दी जायेगी।
- 4- उच्च बोली बोलने वाले निविदादाता को सिल्ट उठाने के लिए अधिकृत किया जायेगा। एवं अधिकृत निविदादाता को रायल्टी की शेष धनराशि एक सप्ताह में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या के कार्यालय में जमा करना होगा। सिल्ट को उठाने हेतु अधिकृत

- पत्र प्राप्त होने के दिनांक से एक माह तक सिल्ट को बैंक से निविदादाता को उठा लेना चाहिए।
- 5-01 माह के अन्दर सिल्ट नहीं उठाने पर पुनः सिल्ट उठाने हेतु दिये गये किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। और न ही जमा हुई रायल्टी की धनराशि वापस की जायेगी।
- 6-अर्नेस्ट मनी डी0डी0 या नगदी के रूप में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या में जमा करायी जायेगी। डी0डी0 (डिमांड ड्राफ्ट) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या के पक्ष में देय होना चाहिए।
- 7-सिल्ट नीलामी की प्रक्रिया की जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस पर सहायक अभियन्ता-द्वितीय के कार्यालय एवं जिलेदार द्वितीय के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 8-सिल्ट को उठाने में नहर के आन्तरिक सेक्शन एवं बैंक में किसी भी तरह की क्षतिग्रस्तता नहीं होनी चाहिए।

(राजेश कुमार निगम)
सहायक अभियन्ता-द्वितीय
सिंचाई खण्ड, अयोध्या

**कार्यालय
सहायक अभियन्ता तृतीय
सिंचाई खंड अयोध्या**

पत्रांक: / स.अ.त. /सिल्ट नीलामी/

दिनांक:

नीलामी सूचना

**जनपद अयोध्या में गोसाईगंज सेक्शन में फैजाबाद शाखा एवं माइनर की बैंक पर एकत्र सिल्ट के निस्तारण/
उठान हेतु नीलामी सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिंचाई खंड अयोध्या के नियंत्रणाधीन उपखंड तृतीय के गोसाईगंज सेक्शन में फैजाबाद शाखा एवं माइनर पर जमा सिल्ट का निस्तारण करने के लिये नीलामी के माध्यम से उपखनिज का उठान निम्न विवरण के अनुसार होना है।

क्र.स.	उपखनिज का नाम	क्षेत्र का विवरण	सिल्ट की मात्रा (घन मीटर में)	नियमावली 1963 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रु प्रति घन मीटर)	उपखनिज की कुल रायल्टी धनराशि (रुपयों में) कालम 04 में अंकित घन मीटर कालम 05 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 06 में अंकित सकल धनराशि का 75 प्रतिशत) रु में
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिल्ट	फैजाबाद शाखा मुख्य नहर				
2	सिल्ट	किमी 85.2 से किमी 85.4	200	55.00	11000.00	8250.00
3	सिल्ट	किमी 85.45 से किमी 85.65	220	55.00	12100.00	9075.00
4	सिल्ट	किमी 85.7 से किमी 85.9	240	55.00	13200.00	9900
5	सिल्ट	किमी 85.95 से किमी 86.15	235	55.00	12925.00	9693.75
6	सिल्ट	किमी 86.2 से किमी 86.4	220	55.00	12100.00	9075
7	सिल्ट	किमी 86.45 से किमी 86.65	265	55.00	14575.00	10931.25
8	सिल्ट	किमी 86.7 से किमी 86.9	240	55.00	13200.00	9900
9	सिल्ट	किमी 86.95 से किमी 87.15	230	55.00	12650.00	9487.5
10	सिल्ट	किमी 87.20 से किमी 87.40	225	55.00	12375.00	9281.25
11	सिल्ट	किमी 87.45 से किमी 87.65	240	55.00	13200.00	9900
12	सिल्ट	किमी 87.7 से किमी 87.9	225	55.00	12375.00	9281.25
13	सिल्ट	किमी 87.95 से किमी 88.15	232	55.00	12760.00	9570
14	सिल्ट	किमी 88.20 से किमी 86.40	242	55.00	13310.00	9982.5
15	सिल्ट	किमी 88.45 से किमी 88.65	252	55.00	13860.00	10395
16	सिल्ट	किमी 86.7 से किमी 88.9	248	55.00	13640.00	10230
17	सिल्ट	किमी 88.95 से किमी 89.15	232	55.00	12760.00	9570
18	सिल्ट	किमी 89.2 से किमी 89.4	228	55.00	12540.00	9405
19	सिल्ट	किमी 89.45 से किमी 89.65	218	55.00	11990.00	8992.5
20	सिल्ट	किमी 89.70 से किमी 89.9	226	55.00	12430.00	9322.5
21	सिल्ट	किमी 89.95 से किमी 90.15	238	55.00	13090.00	9817.5
22	सिल्ट	किमी 90.2 से किमी 90.40	248	55.00	13640.00	10230
23	सिल्ट	किमी 90.45 से किमी 90.65	236	55.00	12980.00	9735
24	सिल्ट	किमी 90.7 से किमी 90.9	246	55.00	13530.00	10147.5
25	सिल्ट	किमी 90.95 से किमी 91.15	256	55.00	14080.00	10560
26	सिल्ट	किमी 91.2 से किमी 91.4	242	55.00	13310.00	9982.5
27	सिल्ट	किमी 91.45 से किमी 91.65	232	55.00	12760.00	9570

28	सिल्ट	किमी 91.7 से किमी 91.9	262	55.00	14410.00	10807.5
29	सिल्ट	किमी 91.95 से किमी 92.15	242	55.00	13310.00	9982.5
30	सिल्ट	किमी 92.2 से किमी 92.4	246	55.00	13530.00	10147.5
31	सिल्ट	किमी 92.45 से किमी 92.65	235	55.00	12925.00	9693.75
32	सिल्ट	किमी 92.7 से किमी 92.9	238	55.00	13090.00	9817.5
33	सिल्ट	किमी 92.95 से किमी 93.15	240	55.00	13200.00	9900
34	सिल्ट	किमी 93.2 से किमी 93.4	246	55.00	13530.00	10147.5
35	सिल्ट	किमी 93.45 से किमी 93.65	248	55.00	13640.00	10230
36	सिल्ट	किमी 93.7 से किमी 93.9	232	55.00	12760.00	9570
37	सिल्ट	किमी 93.95 से किमी 94.15	228	55.00	12540.00	9405
38	सिल्ट	किमी 94.2 से किमी 94.4	226	55.00	12430.00	9322.5
39	सिल्ट	किमी 94.45 से किमी 94.65	246	55.00	13530.00	10147.5
40	सिल्ट	किमी 94.7 से किमी 94.9	218	55.00	11990.00	8992.5
41	सिल्ट	किमी 94.95 से किमी 95.15	276	55.00	15180.00	11385
42	सिल्ट	किमी 95.2 से किमी 95.4	264	55.00	14520.00	10890
43	सिल्ट	किमी 95.45 से किमी 95.65	218	55.00	11990.00	8992.5
44	सिल्ट	किमी 95.7 से किमी 95.9	222	55.00	12210.00	9157.5
45	सिल्ट	किमी 95.95 से किमी 96.15	236	55.00	12980.00	9735
46	सिल्ट	किमी 96.2 से किमी 96.4	252	55.00	13860.00	10395
47	सिल्ट	किमी 96.45 से किमी 96.65	256	55.00	14080.00	10560
48	सिल्ट	किमी 96.7 से किमी 96.9	262	55.00	14410.00	10807.5
49	सिल्ट	किमी 96.95 से किमी 97.15	232	55.00	12760.00	9570
50	सिल्ट	किमी 97.20 से किमी 97.40	254	55.00	13970.00	10477.5
51	सिल्ट	गणेशपुर माइनर के किमी 0.00 से किमी 0.500 तक	200	55.00	11000.00	8250
52	सिल्ट	देवरा माइनर के किमी 0.00 से किमी 0.550 तक	232	55.00	12760.00	9570
53	सिल्ट	गोहनिया माइनर के किमी 0.00 से किमी 0.150 तक	105	55.00	5775.00	4331.25
54	सिल्ट	जैता माइनर के किमी 0.00 से किमी 0.500 तक	180	55.00	9000.00	6750
55	सिल्ट	बंधनपुर माइनर के किमी 0.00 से किमी 0.600 तक	210	55.00	11550.00	8662.5
56	सिल्ट	परमानपुर माइनर के किमी 0.00 से किमी 0.650 तक	120	55.00	6600.00	4950

1.नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कॉलम 07 में अंकित न्यूनतम अर्नेस्ट मनी को दिनांक 15.03.2020 तक कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, अयोध्या में जमा कर जमा रसीद प्राप्त करनी होगी | अर्नेस्ट मनी नियत दिनांक तक जमा करने वाले निविदादाता नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

2. नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निविदादाता को सिल्ट की मात्रा की रायल्टी की कुल धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, अयोध्या के कार्यालय में डी.डी. या नगद के रूप में जमा कर जमा रसीद प्राप्त करनी होगी। जमा रसीद अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, अयोध्या के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अर्नेस्ट मनी के साथ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ वोटर कार्ड की मूल प्रति दिखाते हुए इसकी छायाप्रति भी साथ में जमा करनी होगी।

3. जो निविदादाता नियत दिनांक तक रायल्टी की कुल धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड अयोध्या के कार्यालय में जमा कर देगा वही निविदादाता नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेगा एवं नीलामी हेतु स्थान, तिथि एवं समय की सूचना नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अलग से दी जाएगी |

4. उच्च बोली बोलने वाले निविदादाता को सिल्ट उठाने के लिए अधिकृत किया जायेगा एवं अधिकृत निविदादाता को रायल्टी की शेष धनराशि एक सप्ताह में अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड अयोध्या के कार्यालय में जमा करना होगा | सिल्ट को उठाने हेतु अधिकृत पत्र प्राप्त होने की दिनांक से 01 माह तक सिल्ट को बैंक से निविदादाता को उठा लेना चाहिये
5. 01 माह के अंदर सिल्ट नहीं उठाने पर पुनः सिल्ट उठाने हेतु दिये गए किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और ना ही जमा हुई रायल्टी की धनराशि वापस की जायेगी।
6. अर्नेस्ट मनी डी.डी. या नगदी के रूप में कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, अयोध्या में जमा कराई जायेगी, डी.डी.(डिमांड ड्राफ्ट) अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, अयोध्या के पक्ष में देय होना चाहिये।
7. सिल्ट नीलामी की प्रक्रिया की जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस पर सहायक अभियन्ता तृतीय के कार्यालय एवं जिलेदार तृतीय गोसाईगंज के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं |
8. सिल्ट को उठाने में नहर के आंतरिक सेक्शन में एवं बैंक में किसी भी तरह की क्षतिग्रस्तता नहीं होनी चाहिये

ई. पवन कुमार
सहायक अभियंता तृतीय
सिंचाई खंड अयोध्या